



WWW.APMA.BIZ



ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (रजि.)

AUTOMOTIVE PARTS MERCHANTS ASSOCIATION(Regd.)

(Regd No. S/2999 of 1966-67)

FLAT NO. 10, 1ST FLOOR, VARDAN HOUSE, CHABI GANJ, KASHMERE GATE, DELHI-110006

Phone : 23967505, 23948000 E-mail : apma1965@yahoo.in Website : www.apma.biz

R.K. GUPTA

PRESIDENT

Mobile : 9891008503

VISHNU BHARGAVA

Hony. General Secretary

Mobile : 9811139614

VINAY NARANG

Hony. Treasurer


Mobile : 9810193816

सरकूलर नं० अपमा/2016-18/126

दिनांक : 20 जुलाई, 2017

“महत्वपूर्ण सूचना”

वित्त मंत्रालय का कहना है कि जुलाई 30 के बाद जीएसटी के साथ गैर-पंजीकरण जुर्माना लगाएगा, इसलिए व्यापारियों को आखिरी दिन के इंतजार किए बिना माल और सेवा कर(जीएसटी) कानून के तहत जल्द से जल्द पंजीकरण करना चाहिए। यह स्पष्ट किया गया है कि जो व्यक्ति 31 जुलाई से पहले पंजीकरण लेने में विफल रहते हैं, उन्हें दंड संबंधी कार्रवाई का सामना करना होगा। जीएसटी कानून 1 जुलाई 2017 को केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए थे। “जीएसटी कानूनों के अनुसार, 30 जुलाई, 2017 को या उससे पहले पंजीकरण लेने की आवश्यकता है। सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि वे आखिरी तारीख के इंतजार किए बिना पंजीकरण करें, “बयान में कहा कि “यदि कोई किसी व्यवसाय को ले जा रहा है और पिछले वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक का वार्षिक कुल कारोबार है (विशेष श्रेणी के राज्यों में 10 लाख रुपये), आपको उन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंजीकरण करना होगा जहां से आप कर योग्य आपूर्ति कर रहे हैं। हालांकि, यदि किसी को छूट वाले सामान या सवाओं या दोनों की आपूर्ति में विशेष रूप से जुड़ा हुआ है तो उसे पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। “यदि कोई पंजीकरण लेना जरूरी है लेकिन पंजीकृत नहीं हुआ है, तो वह इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएगा। इसके अलावा, किसी भी पंजीकृत व्यक्ति, ऐसे व्यापारी से खरीदना इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता है। बयान में कहा गया है, “पंजीकरण नहीं प्राप्त करना, हालांकि ऐसा करने के लिए उत्तरदायी होगा, यह भी जुर्माना को आकर्षित करेगा” पंजीकरण करने के लिए एक व्यापारी को पोर्टल <https://www.gst.gov.in/> पर एक ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता है जिसके लिए एक मान्य पैन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आवश्यक है। एक बार ये तीन विवरण सत्यापित हो जाएंगे, तो व्यापार को व्यापार से संबंधित अन्य विवरण प्रस्तुत करना होगा। कोई भी भौतिक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कोई क्वेरी उठाई नहीं जाती है और दस्तावेजों के लिए पूछा जाता है। सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन और अपलोड किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद व्यापारी को तीन दिन के भीतर ऑनलाइन पंजीकरण प्राप्त होगा। सरकार ने कहा कि एक व्यापारी पंजीकृत होकर अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद कर सकता है। “जीएसटी के तहत पंजीकृत किए जाने वाले संभावित खरीदारों, उन आपूर्तिकर्ताओं से खरीदना पसंद करेंगे जो जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं, क्योंकि इससे उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए हकदार होगा। इसका यह भी अर्थ है कि एक यह सुनिश्चित कर रहा है कि उचित करों को एकत्र किया जाए और सरकार को भुगतान किया जाये, एक राष्ट्र निर्माण के लिए अपना योगदान दे रहा है”।



सरकूलर नं0 अपमा/2016-18/127

“जीएसटी और गिरफ्तारी प्रावधान”

गिरफ्तार व्यक्ति को उनकी गिरफ्तारी के बारे में लिखित में सूचित किया जाएगा। संज्ञेय अपराध के मामले में उन्हें 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। गैर संज्ञेय अपराध के मामले में उन्हें गिरफ्तारी के तुरंत बाद जमानत पर रिहा किया जाएगा।

अपराध/132 के अपराध जहां गिरफ्तारी प्रावधान लागू हो गए हैं :-

1. कोई व्यक्ति बिना किसी Invoice के किसी भी सामान/सेवाओं की आपूर्ति करता है या टैक्स से बचने के इरादे से गलत Invoice बनाता है।
 2. जीएसटी के प्रावधानों के उल्लंघन में माल/सेवाओं की आपूर्ति के बिना वह किसी भी Invoice या बिल को जारी करता है, जोकि इनपुट क्रेडिट के उपयोग या टैक्स के रिफंड के गलत तरीके से लाभ या लाभ के लिए होता है।
 3. उन बिलों या Invoices पर इनपुट क्रेडिट प्राप्त करें, जिन पर पैरा-2 में वर्णित वस्तुओं और सेवाओं की कोई आपूर्ति नहीं होगी।
 4. वह किसी जीएसटी को इकट्ठा कर लेता है लेकिन इसे 3 माह के भीतर सरकार में जमा नहीं करता है ये सभी मामले टैक्स की चोरी से संबंधित है।
-



WWW.APMA.BIZ

सरकूलर नं0 अपमा/2016-18/128

“टेली सोफ्टवेयर के सन्दर्भ में”

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि 'सरस्वती अकाउटेन्ट्स सोफ्टवेयर प्रा. लि. ने Tally ERP 9 (टेली सोफ्टवेयर) लगवाने हेतु अपमा सदस्यों को जो 25% की छूट दी थी उसकी अंतिम तिथि शनिवार दिनांक 22-7-2017 है। इसके पश्चात् यह छूट समाप्त हो जाएगी।

अतः जिन अपमा सदस्यों ने अभी तक टेली सोफ्टवेयर लगवाने हेतु अपनी बुकिंग नहीं करवायी है उन सभी अपमा सदस्यों से निवेदन है कि सरस्वती अकाउटेन्ट्स सोफ्टवेयर प्रा. लि. के अधिकृत श्री कपिल जी के मोबाइल नम्बर : 9891988007 पर सम्पर्क कर टेली सोफ्टवेयर लगवाने हेतु अपनी बुकिंग शीघ्र अति शीघ्र करवा लें।

सरकूलर नं0 अपमा/2016-18/129

“ट्रेड लाइसेंस के सन्दर्भ में”

जैसा कि आप सभी व्यापारी भाईयों को विदित है कि दिनांक 3 जुलाई 2017 से लेकर 20-7-2017 तक ट्रेड लाइसेंस बनवाने हेतु अपमा कार्यालय में कैम्प का आयोजन रखा गया था। लेकिन काम की अधिभार होने के कारण कैम्प को 19-7-2017 को समापन करना पड़ा।

साथियों, जिन व्यापारी भाईयों ने ट्रेड लाइसेंस बनवाने हेतु अपने पूर्ण दस्तावेज जमा करवा दिए हैं उन सभी व्यापारी को दिनांक 27-7-2017 तक उनकी जमा रसीद दे दी जाएगी तथा एक माह से डेढ़ माह के बीच ट्रेड लाइसेंस भी बनवाकर उनको दे दिये जाएंगे।

बन्धुओं, आगामी ट्रेड लाइसेंस कैम्प के आयोजन के बारे में आप सभी सदस्यों को सरकूलर के माध्यम से पुनः सूचित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें।

सरकूलर नं0 अपमा/2016-18/130

“डीएस2 (सुगम फार्म) वापिस के विषय में”

वैट विभाग द्वारा दैनिक अखबार में प्रकाशित सूचना के आधार पर आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियम, 2017 और दिल्ली वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 को दिल्ली में लागू किया गया है, जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी है।

जैसे, डीलरों या ट्रांसपोर्टरों की ओर से वैधानिक आवश्यकता नहीं है, जो दिल्ली के एनसीटी को सामानों के परिवहन के लिए डीएस 2 (सुगम) फाइल करते थे, जैसा कि डीवैट शासन में किया जा रहा था।

(विष्णु भार्गव)
महासचिव